

प्रेषक,

हरि प्रसाद सिंह,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

आगरा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 20 अक्टूबर, 2024

विषय: कोविड-19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगाये गये कर्मिकों की कोविड संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके अश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

स्व० भगवान सिंह पिता रघुनाथ सिंह, ग्राम भिलावटी पोस्ट कुकथला तहसील किरावली, संग्रह अमीन तहसील किरावली जनपद आगरा की कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत कर्मिकों की मृत्यु की दशा में उनके अश्रितों को रु० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि वर्ष 2022-23 में शासन के पत्र संख्या-110/एक-10-2023-33(06)/2020 दिनांक 23 जनवरी, 2023 द्वारा आवंटित की गयी।

2- शासन के उक्त पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2023 के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-425/विविध लिपिक/जि०आ०प्र०प्रा० दिनांक 22.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मृतक कर्मिक के अश्रितों को रु० 50.00 लाख की अनुग्रह धनराशि दिये जाने हेतु बजट आवंटित किया गया था। उक्त प्राप्त बजट सीधे कोषागार, आगरा को उपलब्ध कराया गया, जिसका शासनादेश दिनांक 23-01-2023 की प्रति कार्यालय में उपलब्ध न कराये जाने के कारण एवं बजट वर्ष के अंत में उपलब्ध कराये जाने के कारण उक्त धनराशि का भुगतान पीडित व्यक्ति को नहीं हो पाया तथा प्राप्त बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरेण्डर हो गया। उक्त स्थिति का उल्लेख करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः रु० 50.00 लाख का बजट आवंटित किये जाने की मांग की गयी है।

3- जिलाधिकारी, आगरा के उक्त प्रस्ताव अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा द्वारा उक्त की गयी मांग/अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 25 में स्व० भगवान सिंह, संग्रह अमीन, राजस्व विभाग, जनपद आगरा की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक कर्मिक की इयूटी कोरोना महामारी के अन्तर्गत बचाव कार्य हेतु एच०आई०एम०टी० कालेज रूनकता आगरा स्थिति आइसोलेशन सेन्टर पर होने के दृष्टिगत उनके अश्रितों को रु० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-411/एक-

411/एक-11-2021-04(जी)/2015-टी0सी0, दिनांक 22.06.2021 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में वित्तीय वर्ष- वर्ष-2024-25 में रु 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, आगरा के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी0सी0 दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्रविधानों/शर्तों के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कर्मिक की ड्यूटी कोविड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कर्मिक के अभिर्तो को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति करेंगे।
- (3) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार नासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रु0 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य

सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/वी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-1766 (1)/एक-10-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 7- सम्बन्धित कोषधिकारी/मुख्य कोषधिकारी ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-28/10/2024

प्रेषण संख्या:- 1766
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1766
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 29449500	5000000 29449500
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 29449500	5000000 29449500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ चौरानवे लाख उनचास हजार पाँच सौ

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।